रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 126] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 20, 1975/वैशाख 30, 1897
No. 126] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 20, 1975 VAISAKHA 30, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

ORDERS

New Delhi, the 20th May 1975

G.S.R. 287(E).—In exercise of the powers conferred by section 10A of the Former Secretary of State Service Officers (Conditions of Service) Act, 1972 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being satisfied that the conditions regarding retirement benefits applicable to an I.C.S. member of the Indian Administrative Service, who retired or retires from service on or after 1st January, 1973, have become less favourable than those applicable to or in relation to the other officers of the Indian Administrative Service, hereby orders that every such I.C.S. member may, as respects annuity, death-*cum*-retirement gratuity benefits, family pension benefits and any other retirement benefits, exercise an option in writing on or before the 31st December, 1975, to be governed, with effect from the 1st January, 1973, by the same rules and regulations as are applicable to the other members of the Indian Administrative Service, and upon the exercise of the option, every such I.C.S. member shall as respects annuity and other benefits aforesaid be governed as from the said date by the same rules and regulations as are applicable to the other members of the Indian Administrative Service:

Provided that every person who exercises the option as aforesaid shall not be entitled to the credit of any amount to the provident fund account as is referred to in clause (d) of section 7 of the said Act and where any such amount has already been credited to the provident fund of such member, the provisions of this Order shall apply to him only if such amount is refunded to the Government:

Provided further that the Central Government may, if satisfied that any person had reasonable cause for not exercising the option within the period aforesaid, permit him to exercise the option, the expiry of the period notwithstanding.

[No. 12012/1/75-AIS(II)-A]

मंत्रीमंडल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 20 मई, 1975

सा०का०नि० 287(अ).—भूतपूर्व सेक्रेट्री आफ स्टेट सेवा अधिकारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1972 (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) के खण्ड 10क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि भारतीय प्रशासन सेवा के एक ऐसे आई० सी० एस० सदस्य के लिए जो 1 जनवरी, 1973 को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त हो गया हो अथवा सेवानिवृत्त होता हो, लागू सेवा निवृत्ति लाभों संबंधी शर्तें, भारतीय प्रशासन सेवा के अन्य सदस्यों पर अथवा उन के बारे में लागू शर्तों की अपेक्षा कम अनुकूल रह गई हैं, यह आदेश देती है कि आई० सी० एस० का ऐसा प्रत्येक सदस्य जो वार्षिकी राशि, मृत्यु-तथा-सेवा निवृत्ति उपदान, पारिवारिक पेंशन लाभ तथा किसी अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के लिए, उन्हीं नियमों तथा विनियमों द्वारा, जो भारतीय प्रशासन सेवा के अन्य सदस्यों पर लागू हैं, 1-1-1973 से शासित होने के लिए 31 दिसम्बर, 1975 को अथवा इससे पहले लिखित रूप में विकल्प देता है और विकल्प देने के बाद आई० सी० एस० का ऐसा प्रत्येक सदस्य जो वार्षिकी राशि और अन्य उपरोक्त लाभ प्राप्त करता है, उक्त तारीख से उन्हीं नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होगा जो भारतीय सेवा के अन्य सदस्यों पर लागू है :

परन्तु यह कि प्रत्येक व्यक्ति जो उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करता है अपने भविष्य निधि खाते में जमा उस राशि का हकदार नहीं होगा जिसका उल्लेख उक्त नियम की धारा 7 के खंड (ध) में किया गया है और जहां ऐसी राशि ऐसे सदस्य की भविष्य निधि में पहले ही जमा की जा चुकी है तो इस आदेश के उपबन्ध उस पर केवल तभी लागू होंगे जबकि ऐसी राशि सरकार को वापिस लौटा दी जाए :

परन्तु यह भी कि यदि केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उपरोक्त अवधि के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा विकल्प प्रयोग न किए जाने का वाजिब कारण है तो इस अवधि की समाप्ति के बावजूद भी उसे विकल्प प्रयोग करने की अनुमति दे सकती है ।

[सं० 12012/1/75-अ०भा०से० (II)-क]

G.S.R. 288(E). In exercise of the powers conferred by section 10A of the Former Secretary of State Service Officers (Conditions of Service) Act, 1972, the Central Government, being satisfied that the conditions regarding benefits by way of compensation for the increase in cost of living or otherwise applicable to former Secretary of State Service Officers have become less favourable than those applicable to or in relation to any corresponding class or category of other officers of the Indian Administrative Service or the Indian Police Service or any comparable service, hereby directs that every former Secretary of State Service Officer who has retired from service or who may retire hereafter, and who receives his pension in India, be granted such *ad hoc* relief or graded relief or both as would be admissible to him if he is a member of the Indian Administrative Service or the Indian Police Service or, as the case may be, other comparable service, not being a former Secretary of State Service Officer.

2. This Order shall be deemed to have come into force on 1st January, 1973.

[No. 12012/1/75-AIS(II)-B]

S. HABEEBULLAH, Dy. Secy.

सा० का० नि० 288 (अ) ——भूतपूर्व सेक्रेट्री आफ स्टेट सेवा अधिकारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1972 के खण्ड 10 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि भूतपूर्व सेक्रेट्री आफ स्टेट सेवा अधिकारियों को रहन सहन के खर्च में वृद्धि की प्रतिपूर्ति द्वारा अथवा अन्यथा दिए जाने वाले लाभों के संबंध में शर्तें भारतीय प्रशासन सेवा अथवा भारतीय पुलिस सेवा अथवा किसी भी तुलनीय सेवा के अन्य अधिकारियों की तदनुरूपी श्रेणी अथवा वर्ग पर अथवा उनके सम्बन्ध में लागू शर्तों की अपेक्षा कम अनुकूल हो गई है, यह निदेश देती है कि भूतपूर्व सेक्रेट्री आफ स्टेट सेवा के प्रत्येक अधिकारी को जो सेवा से निवृत्त हो चुका हो अथवा जो इसके बाद निवृत्त हो, और जो अपनी पेंशन भारत में प्राप्त करता हो, ऐसी तदर्थ सहायता अथवा वर्गीकृत सहायता अथवा दोनों ही, प्रदान की जाएं जो उसे, यदि वह भूपपर्व सेक्रेट्री आफ स्टेट सेवा अधिकारी न होकर भारतीय प्रशासन सेवा या भारतीय पुलिस सेवा अथवा अन्य तुलनीय सेवा, जैसी भी स्थिति हो, का सदस्य होता, दी जाती ।

2. यह आदेश एक जनवरी, 1973 को लागू हुआ समझा जाएगा ।

[सं० 12012/1/75-अ०भा०से० (II)-ख]

एस० हबीबुल्लाह, उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975